विचार बिन्दु

स्वतंत्र वही हो सकता है जो अपना काम अपने आप कर लेता है। –विनोबा

25 नवम्बर 2023 को विधानसभा के लिये मतदान सम्पन्न हुआ, हम साक्षी हैं कि चुनाव में आचार संहिता की धज्जियां कैसे उड़ाई गई हैं

दिनांक 25 नवम्बर 2023 को राजस्थान विधान सभा की 199 सीटों का चुनाव हुआ। राज्य में कुल 5.26 करोड़ मतदाता हैं। लगभग 75.45 प्रतिशत मतदान हुआ। गत चुनाव की अपेक्षा मतदान बढ़ा है जो शुभ लक्षण है। चुनाव आयोग, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत हुआ, वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत् चुनाव कराता है। चुनाव आयोग को चुनाव कराने के मामले में अपरिमित अधिकार हैं। आयोग द्वारा जारी किये गये निर्देश, जिन्हें आचार संहिता कहा जाता है, वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। चुनाव आयोग के निर्देश कानून के समान हैं। संसद द्वारा बनाये गये कानून के अनुसार चुनाव होते हैं, जहां कानून में कोई प्रावधान नहीं है वहां आचार संहिता कानून के समान है।

चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतंत्र तथा शान्तिपूर्ण हो। राजनैतिक पार्टियों का कर्त्तव्य है कि वे चुनाव आयोग को तथा राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को चुनाव कराने में सहयोग दें। चुनाव निष्पक्ष हो। मतदाता को संविधान ने मत देने का अधिकार दिया है। मत देने के अधिकार पर कोई अंकुश नहीं हो सकता। प्रलोभन देकर मत प्राप्त करना, अथवा जाति धर्म, रंग के भेद के आधार पर चुनाव में मतदाता से मत डलवाना चुनाव अपराध है। चुनाव में आचार संहिता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत का नागरिक ही मतदान कर सकता है। भारत के नागरिक के मूल कर्त्तव्य हैं, जिन्हें अनुच्छेद 51क में परिभाषित किया है, जिसके अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना उसका मूल कर्त्तव्य माना गया है। अनुच्छेद 51क का उप क्लॉज (प) में इसका उल्लेख है। धारा 123 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में चुनाव संबंधित Corrupt प्रेक्टिस माना गया है। यह अपराध भी है।

सबसे प्रथम हम यह समझने का प्रयत्न करें कि आचार संहिता क्या है? यह राजनैतिक दलों और अभ्यार्थियों के मार्ग दर्शन के लिए निर्धारित किये गये मानकों का एक ग्रुप है, जिसे राजनैतिक दलों की सहमति से बनाया गया है। राजनैतिक दलों ने इस प्रकार संहिता में वर्णित सिद्धान्तों की अनुपालना करने के लिये सहमति दी है।

आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा निश्चित की गई चुनाव की तारीखों को घोषणा के बाद से लागू हो जाती है। चुनाव की प्रक्रिया की समाप्ति के साथ ही यह समाप्त हो जाती है।

चुनाव की तारीख 7 नवम्बर व 25 नवम्बर 2023 की घोषित की गई और इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई।

आचार संहिता के पीछे कानून की Sanction नहीं है। इसके उल्लंघन पर लिखित या मौखिक चेतावनी दी जा सकती है।

राजस्थान निर्वाचन विभाग के पत्र दिनांक 9.10.2023 से मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सूचित किया है कि चुनाव संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध के निर्देश दे दिये गये हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के संबंध में मंत्रीयों द्वारा वाहनों के उपयोग, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग, डाक बंगलों के उपयोग पर दिशा निर्देशन दे दिये हैं। इनकी पालना हेतु सबको सूचित किया गया है।

दिनांक 9.10.2023 को चुनाव आयोग ने भी आचार संहिता के संबंध में लिखा है और इनकी पालना करने के निर्देश दिये हैं।

बीजेपी ने राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा के विरूद्ध चुनाव आयोग से चुनाव संहिता के उल्लंघन की शिकायत की है। बीजेपी के विरूद्ध भी कई शिकायतें कांग्रेस नेताओं ने की हैं। कहा जाता है सैकडों शिकायतें बीजेपी व कांग्रेस ने एक-दूसरे के विरूद्ध की हैं, किन्तु आयोग ने क्या कार्यवाही की इसका पर्याप्त रेकार्ड नहीं मिलता। चुनाव संहिता का शोर बहुत है किन्तु इसे सबने नकार दिया है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (3A) में चुनाव में होने वाली Corrupt Practices के बाबत उल्लेख किया है। धारा 123 स्पष्ट करती है कि मतदाता को अपना मत देने के हेतु प्रलोभन देना, फ्रीबीज देना Corrupt Practices है। मुफ्त की रेवडी बांटी जा रही है। बिना इस पर ध्यान दिये कि बजट में इसका प्रावधान नहीं है। एक पार्टी दूसरी पार्टी से आगे बढ़कर लोक लुभावने वायदे कर रही हैं। कोई गैस सिलेन्डर रू.500/- में दे रहा है तो कोई रू.450/- में और कोई उदारता के साथ रू.400/- में गैस सिलेन्डर देने को उत्सुक है। ऐसा मालूम पड़ता है भारत लोकतंत्र में सब चीजें सरकार से मिलेंगी आपको कमाने के हेतु परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। खाना फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, वाहन फ्री और यहां तक तीर्थों की यात्रा फ्री, आज के नये उपकरण स्मार्टफोन, लेपटाप आदि फ्री। काम में आने वाली वस्तुयें मुफ्त में रेवडी की तरह बांटी जायेगी। प्रश्न है इसके लिये धन कहां से प्राप्त होगा। स्पष्ट है आप व हमारे कंधों पर यह बोझ लादा जावेगा।

चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतंत्र तथा शान्तिपूर्ण हो। राजनैतिक पार्टियों का कर्त्तव्य है कि वे चुनाव आयोग को तथा राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को चुनाव कराने में सहयोग दें। चुनाव निष्पक्ष हो। मतदाता को संविधान ने मत देने का अधिकार दिया है। मत देने के अधिकार पर कोई अंकुश नहीं हो सकता।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(1) में कहा गया है कि चुनाव में Corrupt Practices निम्नलिखित है:–

(1) Bribery that is to say,--

(A) any gift, offer or promise by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent of any gratification, to any person whomsoever, with the object, directly or indirectly of inducing--

इस प्रावधान की ध्वनि आदर्श चुनाव संहिता में भी दिखाई देगी। राजस्थान, मध्यप्रदेश आदि राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। राजस्थान के छोटे बडे सभी न्यूज पेपर्स में पूरे पेज के विज्ञापन छपे हैं, सबूत हैं, फ्रीबीज के, नई स्कीमों के और साथ ही नेताओं द्वारा दी गई गारण्टी के। धारा 123 आ पी एक्ट 1951 को जिसे ऊपर रेफर किया है, फ्रीबीज देना, रेवड़ी बांटना चुनाव में एक गम्भीर दुराचरण है। रिश्वत देना, भ्रष्टाचार करना, भेंट देना, वायदे करना आदि Corrupt Practices है, यह अपराध है। दो वर्ष की सजा हो सकती है। चुनाव के फैसले पर विपरीत असर डालने पर चुनाव भी निरस्त हो सकता है।

इन चुनावों में चुनाव आयोग व राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को सैकडों शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनका निस्तारण कैसे हुआ, इसका पूर्ण उल्लेख नहीं मिलता। कुछ केसेज में नोटिस दिये गये हैं और उसका उत्तर दिये जाने से पहले ही बेलट बॉक्स बंद हो गये। न किसी को सजा मिली और न लताड़ ही मिली। राजस्थान के सीईओ प्रवीण गुप्ता का जवाब गले नहीं उतरता कि नोटिस जिन्हें दिये हैं, उन पर कार्यवाही होगी। आदर्श आचार संहिता की बड़ी लिस्ट है, किन्तु उनकी अवहेलना पर किसी के विरूद्ध नोटिस देने के अतिरिक्त कोई कार्यवाही नहीं की गई। हाँ, तेलंगाना के बीआरएस द्वारा जारी की गई रायथु बन्धु स्कीम पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के कारण रोक जरूर लगाई है। यों आचार संहिता अर्थहीन है, उसे नेताओं ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है।

मेरा अपना मत है कि चुनाव कानून में सुधार की आवश्यकता है। आदर्श आचार संहिता को कानून का ही भाग बनाना चाहिये। उसके उल्लंघन पर सजा व फाइन हो तथा विशेष अदालत द्वारा सात दिन में उसका फैसला हो इस कानून का क्रियान्वय Sun Set Laws की भांति हो। नया कानून बनाने में निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान दिया जावे:–

1) नये कानून का मूल उद्देश्य हो कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतंत्र व भयमुक्त वातावरण में, धर्म, जाति, रंगभेद त्याग कर संविधान के नीति निदेशक तत्वों को साकारता प्रदान करने का कल्याणकारी राज्य की स्थापना के संदर्भ में कानून की पालना करते हुये हो।

2) संविधान में नागरिकों के मूल कर्त्तव्य बताये हैं, उन पर अमल करना आवश्यक हो। जो व्यक्ति इन कर्त्तव्यों के प्रति उदासीन है और इन कर्त्तव्यों की पालना नहीं करता है उसे चुनावों में खडे होने का अधिकार नहीं दिया जावे। जो व्यक्ति सार्वजनिक सम्पत्ति को तोडफोड करता है, हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त हो उसे चुनाव में खडे होने से Disqualify माना जावे।

3) राजनैतिक दल दागी व्यक्तियों, भूमाफियों व चरित्रहीन व्यक्तियों को चुनाव में अपना उम्मीदवार न बनाये।

4) स्नातक की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति से कम शिक्षा प्राप्त को सांसद व विधायक के पद के हेतु योग्य न माना जावे।

5) 2 वर्ष की सजा का अपराधी चुनाव लड़ने के योग्य न माना जावे।

6) सांसद व विधायक से चुनाव जीतने पर शपथ पत्र लिया जावे कि वह देश की सेवा करेगा और रिश्वत न तो लेगा न देवेगा। विश्वास दिलायेगा कि वह एक चरित्रवान व्यक्ति है, देश का सेवक है।

7) सभी राजनैतिक पार्टियां जिनकी सरकार केन्द्र अथवा राज्य में है वे चुनाव से 6 माह की अवधि में ऐसी घोषणा नहीं करेगी, जिसे लोक लुभावना कहा जाता है तथा जो फ्रीबीज है। इसके अतिरिक्त ऐसे कानून नहीं बनायेंगे अथवा राज्य आज्ञा जारी नहीं करेंगे जिन्हें लोक हितकारी बताये गये हैं।

8) जीतने के बाद घोषण पत्र (चुनाव मेनिफेस्टो) के अनुसार कार्य न करने पर प्रेसीडेन्ट रूल लागू किया जावे अथवा जनता को Recall का अधिकार दिया जावे आदि-आदि।

याद रहे हमें मिलकर देश को सही अर्थों में धर्म निरपेक्ष लोक तंत्रात्मक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी लोक तंत्रात्मक गणतंत्र बनाना है। गुरू नानक देव जी ने शिक्षा दी थी कि जीवन में सुख शान्ति और सफलता चाहते हो, तो ध्यान रहे काम हमेशा ईमानदारी से करें।

–अतिथि सम्पादक
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

खूब फलफूल रहा है कनाडा वीज़ा और वर्क परमिट घोटाला !

सुरेश कुमार गारोदिया

एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश में लोगों का प्रवास कोई नई बात नहीं है। यह बहुत पुरानी घटना है. इसके दो मुख्य कारण कारण हैं – पहला आर्थिक और दूसरा बेहतर जीवन के लिए। पहले को 80 प्रतिशत और बाकी 20 प्रतिशत ने दूसरे कारण से अपनाया। अब पिछले कुछ दशकों से शिक्षा युवा पीढ़ी के लिए उच्च शिक्षा के लिए दूसरे देशों की ओर पलायन का पहला कारण बन गई है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से हमारी सरकारों द्वारा शिक्षा क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। हमारे देश से सभी राज्यों से छात्र शिक्षा के लिए पलायन करते हैं। लेकिन नौकरी और बेहतर जीवन शैली के लिए पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश से अधिक लोग पलायन करते हैं।

बेहतर नौकरी के लिए सबसे पसंदीदा देशों में कनाडा शीर्ष पर है। पंजाब और अन्य राज्यों से लोग कनाडा प्रवास में काफी रुचि ले रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कुछ अवांछित और धोखेबाज लोग भोले-भाले व्यक्तियों को नकद में अधिक राशि के बदले वीज़ा और वर्क परमिट प्रदान करने के व्यापार में शामिल हैं और कनाडा में व्यवसाय करने वाले और वर्क परमिट जारी करने का अधिकार रखने वाली कंपनियों के मालिक कुछ लोग इस अवैध तरीके से भारी पैसा कमाने का लाभ उठा रहे हैं। व्यापार और इन भोले-भाले लोगों को कनाडा के अधिकारियों को वर्क परमिट जारी करने की सिफारिश करता है और इन व्यक्तियों से भारी रकम लेने के लिए मजबूर करता है। एक बार जब कोई व्यक्ति इनकी पकड़ में आ जाता है तो ये धोखेबाज उनसे मोटी रकम वसूलने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। चूंकि यहां कोई अधिनियम या किसी भी प्रकार का कानून नहीं है और सभी लेनदेन नकद में हैं, इसलिए पीड़ित की कोई मदद नहीं कर सकता। ये धोखेबाज़ उन महिलाओं को भी नहीं बख्शते जिनके माता-पिता/शुभचिंतक बड़ी रकम नकद में देते हैं।

कुछ लोग लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, जालंधर, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद आदि से काम करते हैं। कुछ एनआरआई भी इस व्यापार में शामिल हैं। कुछ बहुत प्रभावशाली व्यक्ति भी शामिल हैं और वे पीड़ितों को धमकी भी देते हैं कि वे अधिकारियों को रिपोर्ट न करें अन्यथा उनके परिवारों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा।

भारत सरकार, उसके अधिकारियों और सत्तारूढ़ राजनेताओं को इस मामले को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में लेना चाहिए और इन दोषियों को सजा देनी चाहिए। चूँकि इस प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून और अधिनियम नहीं है, लेकिन मानव तस्करी से निपटने के लिए बहुत सारे अधिनियम और नियम हैं और यह अधिनियम इस प्रकार के अपराधों के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति ये वीज़ा खरीदते हैं वे अपराधी हैं और ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कारण से देश छोड़ना चाहते हैं कि या तो वे अपराधों में शामिल हैं या कुछ प्रतिबंधित संगठनों के सदस्य हैं जो विदेशी धरती से देश के खिलाफ अपराध रचते हैं और कनाडा इन अपराधों के लिए एक सुरक्षित देश है।

ऐसे वर्क परमिट की व्यवस्था करने वाले ये अपराधी देश की आंतरिक कानून व्यवस्था, सामाजिक शांति और सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं क्योंकि आपराधिक किस्म के लोग अपराध करने के बाद देश छोड़ने में इन लोगों की मदद लेते हैं। ये गतिविधियाँ सीधे तौर पर आंतरिक सामाजिक सुरक्षा में बाधा डालती हैं।

इस रैकेट में कुछ एनआरआई व्यवसायी शामिल हैं जो अन्य आर्थिक अपराधों जैसे लिमिटेड कंपनियों में बेनामी शेयरों के निवेश और प्रचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में भी शामिल हैं। गहन जांच से इन अपराधियों और राष्ट्र विरोधियों को सामने लाया जाएगा। यदि भारत सरकार कोई कानून लाती है तो इस प्रकार के मामलों में शामिल कई लोग सामने आ जायेंगे और भारी मात्रा में काला धन सामने आ जायेगा। यह बिना किसी संदेह के साबित हो जाएगा कि हाल ही में कनाडा की धरती से हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के दोषी पाए गए लोग इस प्रकार के वर्क परमिट विक्रेताओं द्वारा वहां भेजे गए व्यक्ति हैं। सरकार इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की कमाई से बनाई गई भारी काली कमाई और संपत्तियों का पता लगाएगी।

हमारी केंद्र सरकार को इस प्रकार के अपराधियों को पकड़ने के लिए तत्काल कुछ कदम उठाने चाहिए और उन्हें सजा के दायरे में लाना चाहिए। यदि इसमें देरी हुई तो आपराधिक मानसिकता वाले एनआरआई व्यवसायी वर्क परमिट जारी करने के इस धंधे में सक्रिय हैं और हमारे देश की भोली-भाली जनता को वीजा दिलाने में मदद करते हैं। हमारी सरकार को इन धोखेबाजों की इन गतिविधियों को रोकना चाहिए और समाज के साथ-साथ पूरे देश की सुरक्षा को बचाना चाहिए।

–सुरेश कुमार गारोदिया,
गोहाटी, असम।

भारतीय अर्थव्यवस्था के 75 वर्ष–आर्थिक विकास और हमारे पर्यावरण पर चुनौतियां

अशोक कुमार

गतांक से आगे-----

हमारे पर्यावरण पर चुनौतियाँ - जल प्रदूषण

भारत में तीव्र आर्थिक विकास की कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ी है। भारत के सामने सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण जल निकायों, जैसे नदियों, झीलों और भूजल में हानिकारक पदार्थों के छोड़े जाने के कारण होता है। इन पदार्थों में औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज और कृषि अपवाह शामिल हो सकते हैं। जल प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इससे डायरिया, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचा सकता है और पानी को पीने, सिंचाई और अन्य उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना सकता है।

नीतिगत हस्तक्षेप

भारत सरकार ने जल प्रदूषण को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 1974 में, सरकार ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) का निर्माण किया, जो जल प्रदूषण की निगरानी और विनियमन के लिए जिम्मेदार हैं। भारत सरकार ने जल प्रदूषण को संबोधित करने के लिए कई विशिष्ट नीतिगत हस्तक्षेप भी लागू किए हैं। इसमे शामिल है: **अपशिष्ट मानक:** सरकार ने विभिन्न प्रकार के उद्योगों और अन्य प्रदूषकों के लिए अपशिष्ट मानक निर्धारित किए हैं। ये मानक और नीति पुनर्नवीनीकरण किए जा सकने वाले उपचारित अपशिष्टों के अधिकतम स्तर या जल निकायों में छोड़े जा सकने वाले उपचारित अपशिष्टों की न्यूनतम मात्रा (मानदंडों के भीतर) निर्दिष्ट करते हैं।

शून्य तरल निर्वहन: सरकार ने कीटनाशकों, दवा और चमड़ा उद्योगों जैसे कुछ उद्योगों के लिए शून्य तरल निर्वहन अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब यह है कि इन उद्योगों को अपने अपशिष्ट जल को इतने उच्च मानक पर उपचारित करना होगा कि इसका पुन: उपयोग किया जा सके या प्रदूषण पैदा किए बिना इसे पर्यावरण में छोड़ा जा सके।

सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र: सरकार ने सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया है (सीईटीपी) औद्योगिक संपदा के लिए। सीईटीपी व्यक्तिगत उपचार संयंत्रों की तुलना में अधिक कुशल और लागत प्रभावी हैं। **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** सरकार ने जल प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं के वित्तपोषण और कार्यान्वयन के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की है।

आर्थिक विकास और भारत में वनों की कटाई पर इसका प्रभाव

भारत एक तेजी से विकासशील देश है और हाल के दशकों में इसकी अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालाँकि, यह आर्थिक विकास पर्यावरण की कीमत पर आया है, जिसमें वनों की कटाई भी शामिल है। वनों की कटाई कृषि, शहरीकरण और खनन जैसे अन्य भूमि उपयोगों के लिए वनों की सफ़ाई है। भारत में वनों की कटाई की दर दुनिया में सबसे अधिक है, और अनुमान है कि पिछले 75 वर्षों में देश ने अपना 20 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र खो दिया है। ऐसे कई कारक हैं जिन्होंने भारत में वनों की कटाई में योगदान दिया है, जिनमें शामिल हैं:

जनसंख्या वृद्धि: हाल के दशकों में भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है और इसके कारण कृषि और आवास के लिए भूमि की मांग में वृद्धि हुई है।

आर्थिक विकास: भारत के आर्थिक विकास के कारण लकड़ी और लकड़ी जैसे वन संसाधनों की मांग में वृद्धि हुई है।

कमजोर शासन: कमजोर शासन और भ्रष्टाचार ने पर्यावरण नियमों को लागू करना और वनों की रक्षा करना कठिन बना दिया है। भारत के पर्यावरण पर वनों की कटाई का प्रभाव महत्वपूर्ण है। वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन, मिट्टी के कटाव और जैव विविधता के नुकसान में योगदान करती है। इससे स्थानीय समुदायों के लिए पानी और अन्य संसाधनों की उपलब्धता भी कम हो जाती है। भारत में वनों की कटाई को कम करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप भारत सरकार ने वनों की कटाई को कम करने के लिए कई नीतियां लागू की हैं, जिनमें शामिल हैं:–

वन संरक्षण अधिनियम, 1980: यह अधिनियम केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गैर-वन उपयोग के लिए वन भूमि के डायवर्जन पर रोक लगाता है।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988: इस नीति का उद्देश्य भारत के वनों की रक्षा और संरक्षण करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि वनों का प्रबंधन स्थायी रूप से किया जाए।

संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम: यह कार्यक्रम वनों के प्रबंधन और सुरक्षा में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए 1988 में शुरू किया गया था।

प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016: इस अधिनियम के तहत उन कंपनियों से अपेक्षा की जाती है जो वन भूमि को गैर-वन उपयोग के लिए स्थानांतरित करती हैं, ताकि वन क्षेत्र के नुकसान की भरपाई अन्यत्र पेड़ लगाकर की जा सके। इन नीतियों से भारत में वनों की कटाई को कम करने में कुछ सफलता मिली है। हालाँकि, अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। भारत में वनों की कटाई एक बड़ी समस्या बनी हुई है, और अनुमान है कि देश हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र खो रहा है।

हाल के दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है, और इस वृद्धि के साथ ऊर्जा खपत, परिवहन आदि में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। भारत की जनसंख्या 2050 तक 1.6 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, और यह जनसंख्या वृद्धि भारत की बुनियादी जरूरतों (रोटी, कपड़ा और मकान), बुनियादी ढांचे, ऊर्जा संसाधनों पर भारी दबाव डालेगी जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत की शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है और इस शहरीकरण के कारण ऊर्जा खपत और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव महत्वपूर्ण है। अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन से भारत को प्रति वर्ष 45 बिलियन या सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत नुकसान होगा। यह लागत कई कारकों के कारण है, जिनमें शामिल हैं:

फसल का नुकसान: जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा और बाढ़ जैसी अधिक गंभीर मौसमी घटनाएं हो रही हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं और कृषि उपज को कम कर रही हैं।

पानी की कमी: जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के कई हिस्सों में पानी की कमी (ग्लेशियरों के पिघलने/कम वर्षा/भूजल में कमी आदि के कारण) हो रही है, जिसका असर कृषि, उद्योग और घरों पर पड़ रहा है।

समुद्र के स्तर में वृद्धि: समुद्र के स्तर में वृद्धि खतरनाक है और इसका न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में तटीय समुदायों और बुनियादी ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

स्वास्थ्य पर प्रभाव: मानव और अन्य जीवित प्राणियों के शरीर उनके रहने वाले क्षेत्र की जलवायु के आदी होते हैं। कोई भी जलवायु परिवर्तन न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि सभी के लिए कई समस्याएं पैदा कर सकता है। बायोटा सहित अन्य जीवित प्राणी। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई नीतियां लागू की हैं, जिनमें शामिल हैं: जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी): यह योजना 2008 में शुरू की गई थी और जलवायु परिवर्तन पर आठ राष्ट्रीय मिशनों की रूपरेखा तैयार करती है। इन मिशनों में राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन और सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं।

इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी): यह दस्तावेज़ 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को प्रस्तुत किया गया था और 2021-2030 की अवधि के लिए भारत के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करता है। इन लक्ष्यों में 2030 तक भारत की जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 33-35 प्रतिशत तक कम करना और 2030 तक भारत की गैर- जीवाश्म ईंधन-आधारित बिजली क्षमता को 40 प्रतिशत तक बढ़ाना शामिल है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी): यह योजना 2022 में जारी की गई थी और बिजली क्षेत्र के लिए भारत की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करती है। एनईपी ने 2030 तक 500 गीगावॉट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 45 प्रतिशत संचयी बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

इन नीतियों से भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और इसकी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने में कुछ सफलता मिली है। हालाँकि, अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। भारत को अपने उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूलित करने के लिए अपनी जलवायु परिवर्तन नीतियों को लागू करना और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना जारी रखना होगा।

– अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर, कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर, वैदिक विश्वविद्यालय निम्बाहेड़ा और निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर

लूणी नदी में अवैध खनन को लेकर प्रशासन सख्त

बालोतरा से लूनी नदी तक जाने वाले अवैध रास्ते को बंद किया

बालोतरा, (निसं)। जिले के बालोतरा में लूनी नदी में अवैध खनन को रोकने के लिए खनन विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने बालोतरा से लूनी नदी तक जाने वाले अवैध रास्ते को बंद कर दिया है। इस रास्ते का उपयोग अवैध खनन माफिया ठेकेदार द्वारा लूनी नदी से बजरी का अवैध खनन करने के लिए किया जाता था।

खनन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अवैध रास्ते को बंद करने के लिए विभाग ने भारी मशीनों का इस्तेमाल किया। रास्ते को बंद करने के बाद अब अवैध खनन माफियाओं के लिए लूनी नदी तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खनन विभाग ने हाल ही में कई अवैध खनन स्थलों पर छापेमारी की थी। इन छापेमारी में विभाग ने कई जेसीबी, ट्रैक्टर और डंपर जब्त किए थे। खनन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे अवैध खनन को रोकने के लिए कडे कदम उठा रहे हैं। विभाग अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। इसका स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि अवैध खनन से लूनी नदी को काफी नुकसान हो रहा था। अवैध खनन के कारण नदी का पानी प्रदूषित हो रहा था। साथ ही, अवैध खनन से नदी के किनारे बसे गांवों के लोगों को भी परेशानी हो रही थी।

■ खनन विभाग ने हाल ही में कई जगह छापेमारी की थी

फोरमैन खनन विभाग हनमंतराम पटेल पटेल ने बताया कि दो-तीन दिन से लगातार शिकायतें आ रही थी। अवैध खनन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी हमने अवैध खनन माफिया के जाने वाले रास्तों को बंद करवाया है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 1 दिसम्बर, 2023

मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, चतुरथी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2080, पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 4:40 तक, शुक्ल योग रात्रि 8:03 तक, बालव करण दिन 3:32 तक, चन्द्रमा आज 10:12 से कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-वृश्चिक, बुध-वृश्चिक, गुरू-मेष, शुक्र-तुला, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सांय 4:40 तक है। कुमार योग दिन 3:32 से सांय 4:40 तक रहेगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:21 तक, लाभ-अमृत 8:01 से 10:57 तक, शुभ 12:16 से 1:34 तक, चर 4:11 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:02, सूर्यास्त 5:29

मेष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

वृष

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

मिथुन

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

कर्क

अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आवश्यक कार्य योजनानुसार सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह

आर्थिक/वित्तीय मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

कन्या

परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। सुख-शांति बनी रहेगी। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

तुला

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक परेशानियां दूर होने लगेगी।

वृश्चिक

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में शुभ-धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न होंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

मकर

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी।

मीन

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।